फर्द अहकाम

2022/402

केस संख्या :- 162/2022 न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

राकेश बनाम सरकार

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	12.07.2022	तहसीलदार कोटखावदा के द्वारा पत्र क्रमांक/भू.अ/22/1608 दिनांक 24.05.2022 के द्वारा प्रार्थी राकेश गोठवाल पु. मोरिया गोठवाल जाति बैरवा निवासी महादेवपुरा तहसील कोटखावदा का प्रार्थना पत्र नाम शुद्धि किये जाने का पेश किये जानें पर प्रार्थना पत्र को राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर धारा 136 के अन्तर्गत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो प्रार्थी का नाम विरासत का नामान्तकरण खोलते वक्त लल्लुप्रसाद पुत्र मोहरिया के नाम से खोल दिया गया जबकि प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, अंक तालिका व ग्राम पंचायत महादेवपुरा के सरपंच द्वारा जारी लैटर पेड व अन्य दस्तावेजों में आवेदन का नाम राकेश गोठवाल पुत्र श्री मोरिया गोठवाल दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार भी नाम शुद्धि किये जाने की अनुसंशा की गयी है। जवाब सरकार रिपोर्ट पटवारी हल्का व प्रस्तुत दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, अंक तालिका व ग्राम पंचायत महादेवपुरा के सरपंच द्वारा जारी लैटर पेड व अन्य दस्तावेजा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 136 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर ग्राम महादेवपुरा तहसील कोटखावदा के वर्तमान खाता संख्या 6 नया 110 पुरान सम्वत 2074–77 कुल किता 4 रकबा 0.16 है0 मे हिस्सा 1/16 व खाता संख्या 36 नया 33 पुराना सम्वत 2074–77 कुल किता 2 रकबा 2.51 है0 मे हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 67 नया 62 पुराना सम्वत 2074–77 में कुल किता 1 रकबा 0.69 है0 में हिस्सा 1/8 व खाता संख्या 68 नया 63 पुराना सम्वत 2074–77 कुल किता 1 रकबा 0.83 है0 में हिस्सा 1/8 व खाता नंबर 69 नया पुराना 64 कुल किता 5 रकबा 2.44 है0 मे हिस्सा 1/8 खाता नंबर 70 नया पुराना 65 कुल किता 7 रकबा 1.65 है0 में हिस्सा 1/8 खाता नंबर 83 नया 32 पुराना कुल किता 4 रकबा 0.26 है0 मे हिस्सा 1/8 में लल्लुप्रसाद पुत्र मोहरिया बैरवा के स्थान पर राकेश गोठवाल पुत्र श्री मोरिया गोठवाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावें, सम्वत 2074–77 में अंकित नाम लल्लुप्रसाद पुत्र मोहरिया बैरवा के स्थान पर लल्लुप्रसाद उर्फ [illegible] पुत्र मोहरिया उर्फ मोरिया गोठवाल शुद्ध किये जाने के आदेश [illegible] अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त किया जावें। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ashok Kumar
Date: 2022.12.14 12:33:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner